BCCI BULLETIN

Vol. 53 | AUGUST 2022 | No. 8

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

देश की 15वीं एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

देश की 15वीं एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति **महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू** को बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का हार्दिक अभिनन्दन।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष

देश के 14वें उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़

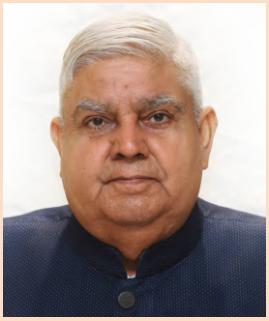

देश के 14वें उपराष्ट्रपति **महामहिम श्री जगदीप धनखड़** को बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का हार्दिक अभिनन्दन।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष

आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 15 अगस्त 2022 को 11 बजे पूर्वाहन में श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर 76वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

माननीय श्री नीतीश कुमार जी 8वीं बार मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दूसरी बार उप-मुख्यमंत्री, बिहार बने

माननीय श्री नीतीश कुमार जी को 8वीं बार मुख्यमंत्री एवं **माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी** को दूसरी बार उप-मुख्यमंत्री बनने पर बिहार के समस्त व्यवसायी वर्ग की ओर से **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज** की हार्दिक बधाई, शुभकामना एवं अभिनन्दन।

हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। हमें यह भी विश्वास है कि युवा एवं उर्जावान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री के अधीन स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति होगी।

बिहार के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सदप्रयासों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर संभव सहायोग के लिए कृत संकल्पित है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार के नये राजनीतिक घटनाक्रम में माननीय श्री नीतीश कुमार जी आठवीं बार मुख्यमंत्री एवं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री को बिहार के समस्त व्यवसायी वर्ग की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ एवं अभिनन्दन।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में गठित मंत्रीमंडल जिसमें अनुभवी, युवा एवं उर्जावान माननीय मंत्रीगण हैं, के दिशा–निर्देशन में बिहार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

बिहार की आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक उत्थान एवं प्रगति में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सद्प्रयास में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर संभव सहयोग के लिए तत्पर एवं कृत संकल्पित है।

इण्डो–जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरीय पर्यावरणीय विशेषज्ञ डॉ0 कृष्ण कुमार सिन्हा एवं Senior Executive सुश्री मधुरा घोष मुखर्जी के साथ दिनांक 21.07.2022 को एक बैठक हुई।

दिनांक 27 जुलाई 2022 राज्यस्तरीय बैकर्स समिति, बिहार की 81वीं बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सम्मिलित हुए।

महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद जी एवं माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग का अभिनन्दन–सह–संवाद का आयोजन दिनांक 29 जुलाई 2022 को चैम्बर प्रांगण में किया गया। इस समारोह में श्री अरूण उप्रेती, माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं शहरी विकास मंत्री, सिक्किम, श्री मिंगमा नोरबू शेरपा, माननीय उर्जा एवं श्रम मंत्री, सिक्किम एवं श्री संजीव कुमार चौरसिया, माननीय विधायक दीघा (पटना) भी उपस्थित थे। समारोह भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के ''हर घर तिरंगा'' के आह्वान पर चैम्बर की ओर से सदस्यों को उपहार स्वरूप तिरंगा झंडा वितरित किया गया और सदस्यों से अनुरोध किया गया कि 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगायें।

15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चैम्बर प्रांगण में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर के नेतृत्व में दिनांक 17 अगस्त 2022 को नवनियुक्त माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ से मिला एवं नये पदभार ग्रहण करने की बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री राजेश माखरिया, श्री अजय गुप्ता एवं श्री नवीन गुप्ता शामिल थे।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर के नेतृत्व में दिनांक 18 अगस्त 2022 को नवनियुक्त माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी से मिला एवं नव पद–भार ग्रहण करने की बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य थे – उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री राजाबाबु गुप्ता, श्री आशीष शंकर, श्री आलोक पोद्दार, श्री अनिल पचीसिया, श्री राजेश माखरिया एवं श्री अजय गुप्ता ।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन के नेतृत्व में दिनांक 19 अगस्त 2022 को नवनियुक्त माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री सुरेन्द्र राम से मिला एवं नये पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजाबाबु गुप्ता, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री आशीष शंकर, श्री रामाशंकर प्रसाद एवं श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की सहभागिता में रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा की ओर से दिनांक 20 अगस्त 2022 को Inter School Debate Competition का आयोजन चैम्बर सभागार में हुआ।

श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से., विकास आयुक्त, बिहार के साथ दिनांक 24 अगस्त 2022 को चैम्बर प्रांगण में एक बैठक हुई । बैठक काफी उपयोगी रही ।

सभी बैठकों एवं आयोजनों का विस्तृत उल्लेख, आपकी सूचनार्थ इसी बुलेटीन में किया गया है।

सादर

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

अध्यक्ष

खाद्य तेल कंपनियों को पैकेट पर बतानी होगी तेल की सही मात्रा

केन्द्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं और आयातकों को सलाह दी है कि वे पैकेट पर वजन की सही मात्रा घोषित करें। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि तेल निर्माण बिना तापमान का उल्लेख किए इस बात की सही–सही घोषणा करें कि पैकेट में कितना तेल है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा तेल उत्पादकों और पैकर्स को सलाह दी गई है कि वे छह महीने के भीतर यानी 15 जनवरी, 2023 तक पैकिंग के समय तापमान का उल्लेख किए बिना ही इकाइयों में तेल की शुद्ध मात्रा घोषित करने वाली लेबलिंग को सही कर लें। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी प्री–पैकेज्ड कमोडिटीज पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की मानक इकाइयों की शुद्ध मात्रा बताना अनिवार्य है।

नियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि की शुद्ध मात्रा को या तो वजन या मात्रा में घोषित किया जाना चाहिए। यदि मात्रा में घोषित किया जाता है तो अनिवार्य रूप से इसके बराबर वजन भी बताया जाना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह देखा गया है कि तेल निर्माता लगातार शुद्ध मात्रा की घोषणा करते हुए तापमान का उल्लेख भी कर रहे हैं। कुछ निर्माता तापमान को 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। जबकि खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि की शुद्ध मात्रा अलग–अलग तापमान पर अलग–अलग होती है।

(साभार : आज, 26.8.2022)

दिनांक 16 अगस्त 2022 को बिहार के मंत्रीमंडल विस्तार के बाद माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को आवंटित विभाग

क्रमांक	मंत्री का नाम	विभाग
1	श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	1. सामान्य प्रशासन 2. गृह 3. मंत्रिमंडल सचिवालय 4. निगरानी 5. निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है।
2	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री	1. स्वास्थ्य 2. पथ निर्माण 3. नगर विकास एवं आवास 4. ग्रामीण कार्य
3	श्री विजय कुमार चौधरी	1. वित्त 2. वाणिज्य कर 3. संसदीय कार्य
4	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	1. ऊर्जा 2. योजना एवं विकास
5	श्री आलोक कुमार मेहता	राजस्व एवं भूमि सुधार
6	श्री तेज प्रताप यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
7	मो. आफाक आलम	पशु एवं मत्स्य संसाधान
8	श्री अशोक चौधरी	भवन निर्माण
9	श्री श्रवण कुमार	ग्रामीण विकास
10	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	सहकारिता
11	डॉ. रामानन्द यादव	खान एवं भूतत्व
12	श्रीमती लेशी सिंह	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
13	श्री मदन सहनी	समाज कल्याण
14	श्री कुमार सर्वजीत	पर्यटन
15	श्री ललित कुमार यादव	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
16	श्री संतोष कुमार सुमन	अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण
17	श्री संजय कुमार झा	1. जल संसाधन 2. सूचना एवं जन-संपर्क
18	श्रीमती शीला कुमारी	परिवहन
19	श्री समीर कुमार महासेठ	उद्योग
20	श्री चन्द्र शेखर	शिक्षा
21	श्री सुमित कुमार सिंह	विज्ञान एवं प्रावैधिकी
22	श्री सुनील कुमार	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
23	श्रीमती अनिता देवी	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण
24	श्री जितेन्द्र कुमार राय	कला, संस्कृति एवं युवा
25	श्री जयन्त राज	लघु जल संसाधन
26	श्री सुधाकर सिंह	कृषि
27	श्री मो. जमा खान	अल्पसंख्यक कल्याण
28	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	पंचायती राज
29	श्री कार्तिक कुमार	विधि
30	श्री शमीम अहमद	गन्ना उद्योग
31	श्री शाहनवाज	आपदा प्रबंधन
32	श्री सुरेन्द्र राम	श्रम संसाधन
33	श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी	सूचना प्रावैधिकी

माननीय उद्योग मंत्री से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 17.8.2022 को उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर के नेतृत्व में नवपदस्थापित राज्य के माननीय उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ से उनके कार्यालय कक्ष विकास भवन में मिला और नए पदभार ग्रहण करने के लिए हार्दिक बधाई दी। चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर ने बताया कि मंत्री के साथ राज्य में उद्योग की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही उनसे विस्तृत विचार-विमर्श के लिए चैम्बर आने का अनुरोध किया गया जिस पर उन्होंने जल्द समय देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, संयोजक सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय तथा कार्यकारणी सदस्य रामाशंकर प्रसाद, राजेश माखरिया, नवीन गुप्ता एवं अजय गुप्ता शामिल थे।

रेपो रेट में बढ़ोतरी, और महंगा होगा कर्ज

एमपीसी ने कर्ज तय करने वाली ब्याज दर में की 0.50 प्रतिशत की वृद्धि, महंगाई की स्थिति अनिश्चित

• रेपो रेट में इस वर्ष तीसरी वृद्धि, मई और जून में भी की जा चुकी है बढ़ोतरी • ताजा वृद्धि के बाद रेपो रेट कोरोना पूर्व स्तर 5.15 प्रतिशत से ज्यादा हुई • बैंकों की तरफ से जमा स्कीमों को भी आकर्षक बनाए जाने की संभावना • 30 से 35 रुपये की प्रति लाख होम लोन की ईएमआइ में वृद्धि की संभावना • 24 रुपये का प्रति लाख पर इजाफा होगा आटो लोन की ईएमआइ पर इस वृद्धि से

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रमुख बातें : • मई से लेकर अब तक रेपो रेट में 1.40 प्रतिशत की वृद्धि • आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा • आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 की पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत, दूसरी में 6.2 प्रतिशत, तीसरी में 4.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4 प्रतिशत पर रहने की संभावना • वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान • वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को भी 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा • चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 7.1 प्रतिशत, तीसरी में 6.4 प्रतिशत, चौथी में 5.8 प्रतिशत और 2023-24 की पहली तिमाही में पाँच प्रतिशत रहने का अनुमान • देश से 2022-23 में तीन अगस्त तक 13.3 अरब डालर की निकासी • वित्तीय क्षेत्र मजबूत है और उसके पास पर्याप्त पूँजी है • रुपये के मूल्य में गिरावट डालर में तेजी की वजह से न कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद आर्थिक बुनियाद के कमजोर होने से • डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 4 अगस्त तक 4.7 प्रतिशत घटी • देश में वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा का चौथा सबसे बड़ा भंडार • भारत में अपने परिवारों की ओर से बिजली व शिक्षा के भुगतान के लिए एनआरआइ को भारत बिल भुगतान प्रणाली के उपयोग की होगी अनुमति • मौट्रिक नीति समिति की अगली बैठक 28-30 सितम्बर होगी • आइसीआइसीआइ ने ब्याज दरों में की वृद्धि, अन्य बैंक जल्द बढ़ा सकते हैं दर • 10 साल के सरकारी बांड पर ब्याज दर 14 आधार अंक बढ़कर 7.30% हुई।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.8.2022)

इस वर्ष ऐसे बढ़ा रेपो रेट

मई, 2022	0.40 प्रतिशत
जून, 2022	0.50 प्रतिशत
अगस्त, 2022	0.50 प्रतिशत

बिहार जीएसटी जुटाने में पिछड़ा, लोगों की खरीद क्षमता घटी

बिहार में जुलाई 2021 की तुलना में जुलाई 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक प्रतिशत कम हुआ। जुलाई 2021 में 1281 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ था जो इस वर्ष जुलाई में घटकर 1264 करोड़ रुपये रह गया है। इस अवधि में दस बड़े राज्यों के जीएसटी संग्रह में औसत 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र का जीएसटी कलेक्शन बीस हजार करोड़ रुपये के पार पहुँच गया। वहीं, बिहार के पड़ोसी

राज्य और उनका जीएसटी संग्रह 'करोड़ रुपये में'

राज्य	जुलाई 21	जुलाई 22	बढ़ोतरी (% में)
महाराष्ट्र	18,899	22,129	17
गुजरात	7629	9183	20
पश्चिम बंगाल	3463	4441	28
झारखण्ड	2056	2514	22
उत्तर प्रदेश	6011	7074	18
बिहार	1281	1264	-1

(नोट : राज्यों के जीएसटी संग्रह के आंकड़े पीओईबी द्वारा जारी किए गए हैं।)

राज्यों ने भी इसमें बेहतर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में इस अवधि में जीएसटी संग्रहण में 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। झारखण्ड ने इस अवधि में 22 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल ने 28 प्रतिशत ज्यादा जीएसटी संग्रहित किया। अर्थशास्त्री और व्यवसायी ऋणात्मक जीएसटी संग्रह को राज्य के विकास के लिए खतरनाक संकेत मान रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर तत्काल कदम उठाने की सलाह भी दी। बताते चले कि पिछले वर्ष की

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय वित्त (वाणिज्य-कर) एवं संसदीय कार्य मंत्री से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर के नेतृत्व में दिनांक 18.8.2022 को नव पदस्थापित राज्य के माननीय वित्त (वाणिज्य-कर) एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से उनके आवासीय कार्यालय, पटना मे मिला एवं नए पदभार ग्रहण करने की हार्दिक बधाई दी।

चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर ने बताया की माननीय मंत्री के साथ वाणिज्य-कर से सम्बंधित विषयों पर चर्चा हुई साथ ही उनसे विस्तृत विचार-विमर्श हेतु चैम्बर पधारने का अनुरोध किया गया जिस पर उन्होंने आश्वाशन दिया है कि बहुत जल्द समय देने का प्रयास करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, संयोजक सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री राजा बाबू गुप्ता एवं पशुपति नाथ पाण्डेय तथा कार्यकारिणी सदस्य आलोक पोद्दार, सुनील सराफ, अनिल पचीसिया, आशीष शंकर, राजेश माखरिया एवं अजय गुप्ता सम्मिलित थे।

तुलना में जुलाई 2022 में केन्द्र सरकार को 28 प्रतिशत ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में केन्द्र को 1.49 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह हुआ है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.8.2022)

30% तक बढ़ गये पेंसिल, पेन, कॉपी और अन्य स्टेशनरी के दाम

कॉपियों में पन्ने हो गये कम, पेंसिल भी हुई छोटी

जीएसटी लगने की वजह से स्टेशनरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गयी हैं। पाँच रुपये में मिलने वाली पेंसिल सात रुपये तक पहुँच गयी है और इसका साइज भी छोटा हो गया है। वहीं, शार्पनर और इरेजर पर भी दो से तीन रुपये का इजाफा हुआ है। ड्रॉइंग पेपर के साथ ही स्याही के भी दाम बढ़ गये हैं। 10 रुपये में मिलने वाला पेन और 15 रुपये तक मिल रहा है। कुल मिला कर 12 से 18% तक जीएसटी लगने से स्टेशनरी प्रोडक्ट के मूल्यों में 25 से 30% तक इजाफा हुआ है।

कापियां महंगी और पेज हुए कम : स्टेशनी दुकानदारों ने बताया कि कॉपियाँ महँगी हुई हैं, तो उनके पेज भी कम कर दिये गये हैं।

ड्राइ फ्रूट की कीमतों में 50 से 200 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा : पिछले एक माह में ड्राइ फ्रूट की कीमतों में 50 से 200 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हो चुका है। ड्राइ फ्रूट व्यवसायियों की मानें, तो कीमत बढ़ने की वजह डिमांड और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ना है। कारोबारियों की माने तो सावन में ड्राइ फ्रुट की मांग बढ़ जाती है। लेकिन, कीमत मांग बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से हुआ है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 3.8.2022)**

जीएसटी 5% बढ़ा, चावल-आटा 20% महँगा

पाँच फीसदी जीएसटी लगने का असर अब खाद्यान्न की कीमतों पर दिखने लगा है। जीएसटी 5 फीसदी बढ़ा, लेकिन चावल के दाम में 15 फीसदी और आटा पर 20 फीसदी-तक वृद्धि हो गई है। राहर दाल, सूजी और मैदा के दाम भी बढ़ गए। गेहूँ की कम पैदावार और ज्यादा निर्यात होने से किल्लत पहले से ही थी। जबकि बांग्लादेश की सरकार ने अपने देश में खाद्यान्न संकट के खतरे को देखते हुए चावल से आयात शुल्क घटा दिया। नतीजा हुआ कि बिहार के बाजार से ज्यादा चावल अब भी बांग्लादेश जा रहा है। उसपर इसबार कम बारिश के चलते धान की रोपनी भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। और, उस पर जीएसटी के दायरे में खाद्यान्न को लाए जाने से महंगाई और बढ़ गई है।

आम उपभोक्ता ही नहीं, खुदरा दुकानदार भी कीमतें बढ़ने से परेशान

इन सामगियों के बढ़े दाम

सामग्री	पहले	अब	सामग्री	पहले	अब
आटा	28	34	मैदा	30	35
चावल	35	42	सूजी	35	40
राहर दाल	100	115	अमूल घी	500	525
मैगी	05	07			

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.8.2022)

हवाई-रेल टिकट रद करने पर भी जीएसटी

चेक बाउंस पर लगने वाले जुर्माने पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन होटल व टूर आपरेटर्स से कराई गई बुकिंग और हवाई टिकट को रद करने पर

माननीय श्रम संसाधन मंत्री से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 19 अगस्त 2022 को चैम्बर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन के नेतृत्व में नव नियुक्त माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेन्द्र राम से उनके नियोजन भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मिला एवं श्रम संसाधन मंत्री के नए पदभार ग्रहण हेतु हार्दिक बधाई दी।

चैम्बर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बताया की माननीय मंत्री जी के साथ श्रम संसाधन विषयों पर चर्चा हुई एवं उनसे विस्तृत विचार-विमर्श हेतु चैम्बर पधारने का अनुरोध किया गया जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द समय देने का प्रयास करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री राजा बाबू गुप्ता एवं पशुपति नाथ पाण्डेय तथा कार्यकारणी सदस्य आशीष शंकर, रामाशंकर प्रसाद एवं अजय गुप्ता शामिल थे।

शुल्क का भुगतान करना होगा। बुकिंग के दौरान जीएसटी की जो दर मान्य होगी, उसी दर से रद शुल्क पर जीएसटी लगेगा। पानी, बिजली जैसी सेवाओं के भुगतान में देर करने पर लगने वाले शुल्क पर भी जीएसटी देना होगा। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कई ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसे लेकर लोगों के मन में आशंकाएं थीं या जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हो रहा था।

सीबीआइसी ने स्पष्ट किया है कि आइसक्रीम पार्लर पर छह अक्टूबर, 2021 से 18 प्रतिशत जीएसटी मान्य है। सीबीआइसी ने कहा है कि जिन पार्लर ने पाँच प्रतिशत की दर से आइसक्रीम पर जीएसटी लिया है और उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, उनसे ना तो किसी तरह की वसूली की जाएगी और ना ही उनके पुराने मामले को लेकर कोई जुर्माना लगाया जाएगा। आइसक्रीम पार्लर में जीएसटी को लेकर काफी असमंजस वाली स्थिति थी क्योंकि रेस्तरां में खाने पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगता है। लेकिन आइसक्रीम पार्लर को रेस्तरां इसलिए नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ पकाया या तैयार नहीं किया जाता है। आइसक्रीम पार्लर की जीएसटी दर को लेकर विवाद पैदा हो गया था और कई पार्लर को विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किए गए थे। किसी प्रकार के सरकारी नियम जैसे कि ट्रैफिक नियम के उल्लंधन पर वसूली जाने वाली रकम पर जीएसटी नहीं लगेगा।

धर्मशालाओं पर नहीं जीएसटी : वित्त मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक ट्रस्ट या संस्था की सराय के कमरे जिनका एक दिन का किराया 1000 रुपये से कम है। उन पर पहले की तरह कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.8.2022)

बिहार की 11 वस्तुओं को मिला हुआ है जीआई टैग

बिहार के 11 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें हस्तशिल्प क्षेत्र से छह, खाद्य सामग्री से एक और कृषि क्षेत्र की चार वस्तुएँ हैं। देशभर की 420 वस्तुओं को केन्द्र सरकार ने जीआई टैग दे रखा है। इसमें 29 विदेशी वस्तुएँ हैं। राज्यसभा में यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी।

बिहार की जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है उसमें हस्तशिल्प में मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक (खटवा) वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुर शिल्क व मधुबनी पेंटिंग है।

हालांकि सरकार ने सूची में सुजनी कढ़ाई, एप्लिक और सिक्की घास के उत्पाद को दो बार अलग-अलग तिथियों में दर्शाया है। वहाँ खाद्य सामग्री में एक मात्र सिलाव का खाजा को जीआई टैग दिया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र में मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची व भागलपुर के जर्दालु आम को जीआई टैग मिला हुआ है। सरकार ने वर्ष 2019-20 में 77 जीआई आवेदन पंजीकृत किए। जीआई टैग देने का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा संरक्षण देना है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2022)

टीडीएस नहीं कटने पर भी आय बताना जरूरी

आइटीआर दाखिल करते समय सभी तरह की आय की जानकारी देना जरूरी है, चाहे उसके लिए स्रोत पर कर की कर्टाती (टीडीएस) नहीं की गयी हो या स्रोत पर कर एकत्र (टीसीएस) नहीं किया गया हो। नये एआइएस (वार्षिक सूचना प्रणाली) और टीआइएस (करदाता सूचना प्रणाली) में सभी लेनदेन संबंधी विवरण होते हैं।

अनिवार्य है इस तरह की आय का खुलासा करना

1. बचत खातों पर अर्जित ब्याज
2. 30000 (एकल बिल)/ 100000 (पूरे वर्ष के लिए) रुपये से कम प्राप्त संविदात्मक आय
3. 50,00,000 रुपये से कम अचल संपत्ति की बिक्री की आय
4. कृषि वस्तुओं की बिक्री से आय
5. करदाता द्वारा धारित सभी बैंक खातों का विवरण
6. वर्ष के दौरान असूचीबद्ध शेयरों के धारित और लेन-देन का विवरण
7. वर्ष के दौरान करदाता द्वारा धारित निदेशकों का विवरण
8. वर्ष के दौरान करदाता द्वारा धारित विदेशी संपत्ति का विवरण
9. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बिक्री से प्राप्त आय का विवरण इसमें टीडीएस नहीं कटता, न ब्याज पर और न ही उसके खरीद-बिक्री पर।

(साभार : प्रभात खबर, 26.7.2022)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 81वीं त्रैमासिक बैठक में चैम्बर के महामंत्री सम्मिलित हुए

बैठक में मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय कृषि मंत्री श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह एवं विभागीय अधिकारीगण।

बैठक में शामिल चौम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी

दिनांक 27 जुलाई 2022 को माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 81वीं त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी शामिल हुए।

सुविधा : बिना आधार कर रिटर्न भर सकेंगे

आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाता जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-प्रत्र का इस्तेमाल करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं।

कारोबारी आय वाले करदाताओं और कॉरपोरेट जगत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) जारी किए हैं। इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने रिटर्न (आईटीआर) भरने के दौरान पूछे थे। आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा। उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं। वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं। पूछे गए सवालों में एआईएस, 26 एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.8.2022)

रू 10 करोड़ के कारोबार पर इ-चालान जरूरी

• बीटूबी सौदों के लिए एक अक्टूबर से होगा लागू • अभी 20 करोड़ रुपये के कारोबार पर इ-चालान जरूरी • आगे चल कर पाँच करोड़ या अधिक के कारोबार पर लागू किया जायेगा।

जीएसटी पंजीकृत और 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक के वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों को इस साल एक अक्टूबर से बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के लिए इ-चालान निकालना अनिवार्य होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार वाली कंपनियों को सभी तरह के बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस बनाना अनिवार्य है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा कि एक अक्टूबर से इ-चालान की सीमा को घटा कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मालूम हो कि जीएसटी परिषद इ-चालान को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है। जीएसटी के तहत, एक अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार पर बी2बी लेनदेन पर इ-चालान अनिवार्य किया गया था। इसके बाद 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक का कारोबार वाली कंपनियों पर इसे लागू किया गया। एक अप्रैल, 2021 से 50 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए ई-चालान निकालना अनिवार्य किया गया था। सीबीआइसी की आगे चलकर पाँच करोड़ का कारोबार करनेवाली कंपनियो पर भी इसे लागू करने की योजना है।

(साभार : प्रभात खबर, 3.8.2022)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

जीएसटी की मासिक विवरणी GSTR- 3B में किये जा रहे बदलाव के संबंध में सुझावों का आमंत्रण

- जीएसटी की मासिक विवरणी GSTR- 3B में कुछ बदलाव विचाराधीन है।
- इस संबंध में आवश्यक ब्यौरा विभागीय बेवसाईट biharcommercialtax.gov.in पर उपलब्ध है।
- इस प्रस्तावित बदलाव के सम्बन्ध में **GST** के करदाताओं/अधिवक्ताओं/हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया जाता है।
- आप अपने सुझाव दिनांक **15 सितम्बर 2022** तक ई-मेल आईडी gstpolicywing-cbic@gov.in पर भेज सकते हैं।

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2022)

SC TO GST COUNCIL : STATE TAX NOTICES MUST ENSURE DIN

Document Identification No. to make process more transparent and prevent harassment by officials.

The Supreme Court on 3.8.2022 directed the Goods and Services Tax (GST) Council to issue advisories to all the states to ensure mention of Document Identification Number (DIN) on all notices sent by state GST authorities.

Implementation of the DIN system by states is expected to make the entire process of sending notices more transparent and prevent harassment by tax officials.

A DIN is a 20-digit identification code that is affixed to every communication sent to taxpayers by the government.

(Detail : The E.T. New Delhi, 4.8.2022)

चैम्बर द्वारा महामहिम राज्यपाल, सिक्किम एवं माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम का अभिनन्दन समारोह-सह-संवाद कार्यक्रम आयोजित

समारोह को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद। उनकी बाँयीं ओर माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग तथा दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग का अभिनन्दन समारोह-सह-संवाद कार्यक्रम का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 29 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री अरूण उप्रेती, माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं शहरी विकास मंत्री, सिक्किम तथा श्री मिंगमा नोरबू शेरपा, माननीय उर्जा एवं श्रम मंत्री, सिक्किम एवं श्री संजीव चौरसिया, माननीय विधायक, दीघा, बिहार भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिक्किम में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसे 100 फीसदी जैविक खेती करने के लिए ग्लोबल फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिक्किम में आज केसर की खेती हो रही है, यह एक सुखद संवाद है एवं इस कार्य को प्रारम्भ कराने में महामहिम जी एवं तमांग जी का बड़ा योगदान रहा है। सिक्किम पर्यटन, पर्यावरण स्वच्छता के क्षेत्र में छोटे राज्यों में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। उन्होंने आगे कहा :-

- सिक्किम के दो गाँव को गोद लेकर उसे आदर्श गाँव के रूप में परिवर्तित किया है।
- गाँव के बेरोजगार युवकों को मेटल फैब्रिकेशन का प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया है।
- गाँव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु एपैरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेन्टर के सहयोग से महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण दिलाया है साथ ही उन्हें सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराया है।
- इन्होंने सिक्किम में ''आमा'' एवं ''बहिनी योजना'' के तहत प्रत्येक गैर -कामकाजी महिलाओं को सालाना 20,000/- की राशि उपलब्ध कराया है साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त में छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराया है।
- स्थानीय निवासियों को उद्यमशीलता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक परिवार, एक उद्यमी योजना चलायी है।
- सिक्किम में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रति लीटर 8 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है और काफी सारे लोग इस सेक्टर से जुड़ कर लाभान्वित हो रहे हैं जिसका प्रतिफल है कि सिक्किम से दूध अन्य राज्यों में निर्यात हो रहा है।
- सिक्किम पर्यटन, पर्यावरण स्वच्छता के क्षेत्र में छोटे राज्यों में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है और इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री तमांग के कुशल नेतृत्व को जाता है।
- इन्होंने 21 छात्र-छात्राओं को दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी सरकारी खर्च पर कराने एवं 50 मेडिकल सीटें मेधावी आकांक्षी छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया है।

इस अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि सिक्किम में सबसे अधिक फर्मास्युटिकल कम्पनियाँ हैं। उन्होंने कहा कि कोई लेबर यूनियन नहीं है, शान्ति है साथ ही 2028 तक टैक्स होलीडे है, इसलिए नए इंडस्ट्री को कोई टैक्स नहीं देना होता है साथ ही उसे पाँच साल बढ़ाया जाएगा। अत: जो भी लोग वहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं आएं, उनका स्वागत है, उन्हें हर प्रकार की विधि सम्मत सुविधाए प्रदान की जाएगी। बिहार के लोगों को डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा एवं हेल्थ टूरीज्म में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि डेयरी में प्रति लीटर 8 रूपया सबसिडी का प्रावधान है। खेती में इलायची, पत्तागोभी, नारंगी एवं अदरख पर प्रोत्साहन दिया जाता है। जैविक खेती में यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो उनका स्वागत है। **उन्होंने बताया कि माह नवम्बर 2022 में सिक्किम सरकार की ओर से एक इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है और उस क्रम में वे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ भी एक बैठक करेंगे।**

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी ने कहा कि सिक्किम छोटा राज्य होने के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है एवं वहाँ पर्यटन की असीम संभावना है। उन्होंने बताया कि किसी भी देश एवं राज्य के विकास के लिए उद्योग आवश्यक है और बिहार चैम्बर हर प्रकार से इस दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने चैम्बर के शताब्दी वर्ष की शुभकामना देते हुए अपील किया कि देश के वीरों के याद में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को सफल बनाएं।

इस अवसर पर चैम्बर की ओर से चलाए जा रहे टैली कोर्स के प्रथम बैच के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र देते हुए महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ वरीय सदस्य सर्वश्री सुभाष कुमार पटवारी, ए. के. पी. सिन्हा, पशुपति नाथ पाण्डेय, आशीष शंकर, प्रदीप चौरसिया, रामाशंकर प्रसाद, राजा बाबू गुप्ता, अनिल पचीसिया, राजेश खेतान, सुबोध जैन के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यसायी सम्मिलित हुए।

चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी के धान्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

सम्मान समारोह की अन्य फोटोग्राफ

महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग का पुष्णगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति एवं शहरी विकास मंत्री सिक्किम श्री अरूण उप्रेती का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।
साथ में माननीय ऊर्जा एवं श्रम मंत्री सिक्किम श्री मिंगमा नोरबू शेरपा एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

माननीय ऊर्जा एवं श्रम मंत्री, सिक्किम श्री मिंगमा नोरबू शेरपा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।
साथ में माननीय खाद्य एवं आपूर्त्ति मंत्री, सिक्किम श्री अरूण उप्रेती तथा माननीय विधायक, दीघा (बिहार) श्री संजीव कुमार चौरसिया।

माननीय विधायक, दीघा श्री संजीव कुमार चौरसिया का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन । साथ में माननीय ऊर्जा एवं श्रम मंत्री, सिक्किम श्री मिंगमा नोरबू शेरपा तथा चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

अभिनन्दन समारोह में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद एवं माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

समारोह में सदस्यों को संबोधित करते माननीय मुख्य मंत्री सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग। उनकी बाँयीं ओर माननीय खाद्य एवं आपूर्त्ति एवं शहरी विकास मंत्री, सिक्किम श्री अरूण उप्रेती तथा दाँयीं ओर महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन

टैली प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान करते महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

टैली प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान करते महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद जी को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में सिक्किम के मा. मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग एवं मा. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री अरूण उप्रेती।

मा. मुख्यमंत्री सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमांग को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

माननीय खाद्य एवं आपूर्त्ति एवं शहरी विकास मंत्री, सिक्किम श्री अरूण उप्रेती को चैम्बर का मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

माननीय ऊर्जा एवं श्रम मंत्री सिक्किम श्री मिंगमा नोरबू शेरपा को चैम्बर का मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

टैली प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के साथ महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, मा. मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री अरूण उप्रेती, मा. ऊर्जा एवं श्रम मंत्री, सिक्किम, श्री मिंगमा नोरबू शेरपा एवं माननीय विधायक दीघा (बिहार) श्री संजीव कुमार चौरसिया।

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

GST में कर भुगतान करना अब हुआ और आसान

GST में कर भुगतान की सुविधा अब UPI तथा डेबिट /क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी उपलब्ध है।

अत: सभी करदाताओं द्वारा कर एवं अन्य भुगतान हेतु अब इस नयी पद्धति/प्रणाली का भी उपयोग किया जा सकता है।

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट 6.8.2022)

अगस्त से नयी दर पर होगा बियाडा भूमि का आवंटन

बिहार में औद्योगिक निवेश योग्य तीन हजार एकड़ जमीन के नये दर से आवंटन की प्रक्रिया अगले महीने अगस्त से शुरू हो जायेगा। उद्योग विभाग ने करीब तीन हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। इसमें सबसे अधिक जमीन 2400 एकड़ चीनी मिलों से ली गयी है। इसमें 1800 एकड़ से अधिक भूमि पर निवेश के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा चुका है। ऐसे में बिहार में निवेश के द्वार खुल सकते हैं। बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों के जमीन की कीमतों में हाल ही में 20 से 80 फीसदी तक की कमी की गयी है। इन दरों पर जमीन आवंटन के लिए बियाडा ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त से शुरू करने जा रहा है। 20 एकड़ से अधिक जमीन वाले औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 26 है। फिलहाल निवेश के लिए समुचित लैंड बैंक तैयार है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 76 औद्योगिक क्षेत्रों में से 12 औद्योगिक क्षेत्रों में एक इंच जमीन खाली नहीं हैं। वहीं 12 औद्योगिक क्षेत्रों में एक एकड़ से भी कम और अन्य 11 में एक एकड़ से अधिक और पाँच एकड़ तक की जमीन ही रिक्त है।

पटना जोन

सबसे अधिक बक्सर के नवानगर शुगर मिल की है जमीन : पटना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक

बैठक को संबोधित करते इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरीय पर्यावरणीय विशेषज्ञ डॉ. कृष्ण कुमार सिन्हा। उनकी दाँयीं ओर इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक्जीक्युटिव सुश्री मधुरा घोष मुखर्जी, बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा बाँयी ओर बिहार चैम्बर उपाध्यक्ष श्री. एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉ. कृष्ण कुमार सिन्हा, वरीय पर्यावरणीय विशेषज्ञ एवं मधुरा घोष मुखर्जी, एक्जीक्यूटिव के साथ दिनांक 21 जुलाई 2022 को चैम्बर प्रांगण में एक बैठक हुई।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य इण्डो-जर्मन चौम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा औद्योगिक जल प्रबंधन में दिए जाने वाले सस्टेन अवार्ड 2022 के संबंध में जानकारी देना है जिससे कि अधिकाधिक लोग इससे अवगत होकर इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकें।

इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि डॉ. कृष्ण कुमार सिन्हा, वरीय पर्यावरणीय विशेषज्ञ एवं मधुरा घोष मुखर्जी, एक्जीक्यूटिव ने बताया कि औद्योगिक जल प्रबंधन में सस्टेन अवार्ड 2022 माह दिसम्बर में कोलकता में दिया जाएगा। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के इकाइयों के साथ-साथ बाहर की कम्पनियाँ भी भाग ले सकती हैं। ऐसी इकाईयाँ जिनके प्लांट से गंदा जल निकलने के बाद उसे प्रोसेस करके इटीपी के माध्यम से स्वच्छ जल बाहर निकालती हैं उन्हें इस अवार्ड के लिए चयनित किया जाएगा। इस अवार्ड को पाने वाली इकाइयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी एवं जर्मनी के उद्योग संघों से औद्योगिक जल प्रबंधन में परामर्श एवं सहयोग मिलेगा। इस अवार्ड के लिए तीन राज्य यथा - बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड को चयनित किया गया है।

इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्रों में भी जाकर उद्यमियों को औद्योगिक जल प्रबंधन के संबंध में परामर्श दिया जा रहा है।

इस अवसर पर चैम्बर के सदस्यों ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज एवं इटीपी की उचित व्यवस्था नहीं होने के बारे में विस्तारपूर्वक बताया और कहा कि ऐसी परिस्थिति में यदि वे इस अवार्ड के लिए आवेदन करेंगे तो स्वभाविक है कि वह रद्द हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि बियाडा की ओर से राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाया जाये तभी औद्योगिक जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था हो पाएगी।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ वरीय सदस्य सुभाष कुमार पटवारी, ए. के. पी. सिन्हा, प्रमोद शर्मा, पशुपति नाथ पाण्डेय, आशीष शंकर, सुनील सराफ, राजीव अग्रवाल, राजा बाबू गुप्ता के साथ -साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी सम्मिलित हुए।

चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ।

जोन के 24 ओद्योगिक क्षेत्रों में गया औद्योगिक क्षेत्र, इपीआइपी हाजीपुर, बिहटा, मेगा इंडिस्ट्रियल पार्क बिहटा और कोपाकला में जमीन शेष नहीं हैं, जबकि पाटलिपुत्र, नवादा, जहानाबाद, डेहरी, बिक्रमगंज, ग्रोथ सेंटर गिधा में एक एकड़ से कम जमीन है।

पटना जोन में सबसे अधिक लैंड बैंक बक्सर के नवा नगर शुगर मिल्स से अधिग्रहित 439.68 एकड़ जमीन, नवादा वारसलीगंज शुगर मिल्स औद्योगिक क्षेत्र में 60.30 औरंगबाद के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में 31 एकड़ जमीन निवेश के लिए खाली है।

दरभंगा जोन

बेला व खगड़िया में जमीन नहीं : दरभंगा जोन में 15 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनमें बेला और ग्रोथ सेंटर खगड़िया में औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन नहीं है। धरमपुर, सहरसा, समस्तीपुर, लोहट मधुबनी के औद्योगिक क्षेत्रों में एक एकड़ से कम रिक्त जमीन हैं। यहाँ सबसे बड़ा लैंड बैंक मसलन सुपौल इंडस्ट्रियल इलाका में 93.33, लोहट वन (मधुबनी) शुगर मिल्स में 66.86, सिकटी (मधुबनी) शुगर मिल्स में 46.99, लोहट मधुबनी में 48.76 एकड़ का है।

मुजफ्फरपुर जोन

बेतिया में जमीन खाली नहीं : मुजफ्फरपुर के 24 औद्योगिक क्षेत्रों में केवल बेतिया में जमीन खाली नहीं है। वहीं रक्सौल और सीतामढ़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक एकड़ से कम जमीन रिक्त है। मुजफ्फरपुर जोन में सबसे बड़े लैंड बैंक मोतीपुर शुगर मिल औद्योगिक फार्म में 208.61 एकड़, बेगूसराय इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में 212.28, कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में 337.360 एकड़, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 75.52 एकड़, गुरौल शुगर मिल्स वैशाली में 51.33, मोतीपुर शुगर मिल्स बरियारपुर में 54.97 एकड़ भूमि रिक्त है।

भागलपुर जोन

सबसे अधिक बनमनखी में जमीन : भागलपुर जोन के सीताकुंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर कहलगाँव, लखीसराय, खगरा (किशनगंज) में जमीन रिक्त नहीं है। वहीं फॉरबिसगंज और मुंगेर औद्योगिक क्षेत्रों में एक एकड़ से कम जमीन बची है। भागलपुर के सबसे बड़े लैंड बैंक बनमनखी शुगर मिल्स पूर्णिया में 95 एकड़, भेदियादांगी किशनगंज में 35 एकड़ का लैंड बैंक सुरक्षित है।

(साभार : प्रभात खबर, 27.7.2022)

चैम्बर की सहभागिता में रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा की ओर से अंतरविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता चैम्बर में आयोजित

कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष रो. अनिल रिटोलिया, सचिव रो. रूचिका अग्रवाल एवं चेयरमैन रो. अखौरी विश्वप्रिया।

कार्यक्रम में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष को शॉल भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में रोटरी पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष रो. अनिल रिटोलिया

कार्यक्रम में प्रतियोगिता के जूरी सदस्य श्री विकास मिश्रा, दूरदर्शन केन्द्र, पटना को अंग वस्त्रम् से सम्मानित करते रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा के पूर्व अध्यक्ष रो. श्री सुबोध कुमार जैन।

वाद-विवाद प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं मेमेंटो प्रदान करते बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। साथ में हैं रो. श्रीवत्स संजय, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, अध्यक्ष रो. अनिल रिटोलिया एवं सचिव रो. रुचिका अग्रवाल।

प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की सहभागिता में रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा, पटना की ओर से दिनांक 20 अगस्त, 2022 को Inter School Debate Competition का आयोजन चैम्बर के साहु जैन हॉल में किया गया जिसका विषय था- Incredible India : Is the Face of Tourism Changing?"

प्रतियोगिता में 22 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष श्री अनिल रिटोलिया ने कहा कि बच्चों के अन्दर छिपी प्रतिभाओं निखारने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऐसे आयोजन करता रहा है। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं मेमेन्टों प्रदान किया गया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा के पूर्व अध्यक्ष रो. सुबोध कुमार जैन उपस्थित थे।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विकास आयुक्त, बिहार के साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की चैम्बर में बैठक

कार्यक्रम को संबोधित करते विकास आयुक्त, बिहार, श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से.। उनकी दायीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन तथा पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल। उनकी बायीं ओर क्रमशः महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं इंडस्ट्रीज सब-कमिटी के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी।

विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।
साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।
साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह, विकास आयुक्त, बिहार के साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की एक बैठक चैम्बर प्रांगण में आयोजित की गई जिसमें उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित कई एक मुद्दों पर अपनी बातें रखी। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने चैम्बर के ज्ञापन के बिन्दुओं को अलग-अलग हेड बनाकर देने को कहा और बताया कि एसआईपीबी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की नीतियों को कार्यान्वित कराने में अक्सर कुछ कमियाँ रहती हैं, उस गैप को कम करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार सरकार के विभागों के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का प्रयास किया जा रहा है। हमलोगों को एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न करके मिलकर काम करने की आवश्यकता है तभी राज्य का समुचित विकास संभव होगा।

चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर ने विकास आयुक्त का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के चहुमुखी विकास में विकास आयुक्त की भूमिका अति महत्वपूर्ण है और राज्य में अधिकाधिक निवेश हो, ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को रोजगार मिले तथा आर्थिक विकास की गति और तेज हो, इस दिशा में आपके द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है। राज्य के विकास आयुक्त का पद चैम्बर एवं सभी व्यापारिक संगठनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के सभी विकास कार्यों के लिए विकास आयुक्त ही शीर्ष केन्द्र है। विकास आयुक्त राज्य के ज्यादातर कारपोरेशन के अध्यक्ष होते हैं जैसे – बिहार मेडिकल इन्फ्रास्ट्रकचर, बिल्डिंग कारपोरेशन, रोड कारपोरेशन, ब्रीज कारपोरेशन इत्यादि। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी परियोजना ड्रीम प्रोजेक्ट भी विकास आयुक्त की देख-रेख होता है। राज्य के सभी विभागों के कार्य का मोनेटरिंग भी विकास आयुक्त महोदय द्वारा ही किया जाता है।

चैम्बर के इंडस्ट्री सब कमिटी के संयोजक सुभाष कुमार पटवारी की ओर से एक ज्ञापन समर्पित किया गया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-

- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर के तहत गया और कैमूर के बीच कम-से-कम दो औद्योगिक शहर स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशिघ्र किया जाना चाहिए।
- बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है। यह सहज रूप में उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होने वाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।
- चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए।
- बिजली की दर को पुनरनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके।
- राज्य के लिए भूजल प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए इससे उद्यमियों को सुविधा के साथ-साथ राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी।

- सरकार को रिजर्व बैंक अथवा अन्य माध्यम से बैंकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए।
- राज्य में एक औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाना चाहिए।
- खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोगी संस्था का गठन किया जाना चाहिए।
- बिहार में उद्योगों के विस्तार हेतु विभिन्न MSME क्लस्टर की संभावना के विकास पर विचार किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, सम्मानित सदस्य सुभाष कुमार पटवारी, ए. के. पी. सिन्हा, रामाशंकर प्रसाद, आशीष शंकर, पशुपति नाथ पाण्डेय, सच्चिदानन्द, अनिल पचीसिया, सावल राम ड्रोलिया, राजेश माखरिया, अजय गुप्ता के साथ-साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी ने किया।

Note : विकास आयुक्त को समर्पित विस्तृत ज्ञापन हेतु चैम्बर से संम्पर्क करें।

छत पर सोलर पैनल लगाने को करें आवेदन, मिलेगा 40 प्रतिशत अनुदान

राज्य के उपभोक्ता अपने घर के छत पर रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। इसके लिए केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल http://solarrooftop.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले आवेदन को केन्द्र सरकार के द्वारा संबंधित राज्यों के वितरण कंपनियों के पास भेजा जाएगा। राज्य के वितरण कंपनियाँ आवेदनों का सत्यापन कर उपभोक्ताओं के छत पर पैनल में चयनित एजेंसियों के माध्यम से रूफटॉप सोलर पैनल लगवाएंगी।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं को निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी को करना होगा। एजेंसी द्वारा सोलर पैनल लगाए जाने के बाद उपभोक्ता का डेटा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता के खाते में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। किसी तरह की जानकारी लेने में लिए केन्द्रीय उर्जा मंत्री के द्वारा जारी **हेल्प लाइन नंबर 18001803333** पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

घरेलू उपभोक्ता को 40 फीसदी अनुदान : एक से 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार के द्वारा बैंक अकाउंट के माध्यम से लागत का 40 फ्रीसदी अनुदान दिया जाएगा। तीन से 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले को केन्द्र सरकार के द्वारा लागत का 20 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।

आवेदकों को राज्य सरकार 25% देगी अनुदान : राज्य में साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा 10-10 मेगावाट का रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। इसके लिए http://sbpdcl.co.in और http://nbpdcl.co.in के माध्यम से आवेदन करना है। बिहार के वितरण कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के छत पर लगाए जाने वाले एक से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 65 फीसदी और 3 से 10 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45 फीसदी अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार 25 फीसदी अनुदान दे रही है। शेष अनुदान केन्द्र सरकार का शामिल है। अनुदान की राशि कम कर उपभोक्ताओं के द्वारा वेंडर को भुगतान किया जाएगा। अनुदान की राशि सरकार के द्वारा सीधे वेंडर को बैंक खाता के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

पाँच वर्षों तक मेंटेनेंस करेगी एजेंसी, 25 वर्षों तक काम करेगा सोलर : वितरण कंपनियों के द्वारा टेंडर के माध्यम से रूफटॉप सोलर लगाने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं के छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल का 5 सालों तक मेंटेनेंस करेगी। यह सोलर पैनल 25 वर्षों तक काम करेगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.8.2022)**

अगले साल मार्च तक 100 प्रतिशत सरकारी खरीद जेम पोर्ट से करने की तैयारी

• सिक्किम छोड़ सभी राज्य जेम के साथ खरीदारी को कर चुके समझौता • भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी खत्म, मेक इन इंडिया को मिलेगा प्रोत्साहन • 47.99 लाख विक्रेता सामान बेचने के साथ सेवाएँ भी करा रहे हैं उपलब्ध • 41.44 लाख उत्पाद पोर्टल पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध • 1.9 लाख सेवाएँ भी ली जा सकती है इस प्लेटफार्म के माध्यम से • 75 प्रतिशत खरीदारी का लक्ष्य जेम पोर्टल से 15 अगस्त तक

सरकार ने इस साल 15 अगस्त तक 75 प्रतिशत सरकारी खरीदारी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं अगले साल मार्च अंत तक 100 प्रतिशत सरकारी खरीद जेम पोर्टल से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर यह लक्ष्य तय किया गया है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से सभी केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनियों व विभागों को यह जानकारी दे दी गई है।

हाल ही में इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 50 केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनियों और सभी केन्द्रीय विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जरूरी : बैठक के दौरान गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल पर होने वाली खरीदारी पर पूरी नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जरूरी है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जा सके। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा पूरी तरह से सरकारी खरीद जेम पोर्टल से होने पर यह प्लेटफार्म सरकारी खरीद के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल बन जाएगा।

वर्ष 2016 में हुई थी जेम पोर्टल की स्थापना : जेम पोर्टल पर बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) कारोबार होता है। वर्ष 2016 में जेम पोर्टल की स्थापना की गई थी। वित्त वर्ष 2021-22 में जेम पोर्टल पर 1,06,760 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया जो वित्त वर्ष 2020-21 के कारोबार के मुकाबले 178 प्रतिशत अधिक है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 25.7.2022)**

हस्तकरघा के लिए कच्चा माल केन्द्र बनेगा : सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हस्तकरघा के लिये कच्चा माल केन्द्र की स्थापना की जाएगी, ताकि बुनकरों को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलायें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। पुरुष भी काम कर रहे हैं। सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अधिक उत्पादन होने से दूसरे राज्यों में भी बने माल की आपूर्ति होगी। लोगों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों से जितना संभव होगा, बुनकरों का सहयोग करेंगे। ताकि, आपके साथ ही राज्य का भी विकास हो।

सभी इच्छुक बुनकरों को कार्यशील पूंजी दी जाएगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण उन्हें कच्चा माल खरीदने में परेशानी होती है। इसको देखते हुए बुनकरों को 10 हजार कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2018-19 से अब तक 6, 823 बुनकरों ने इसका लाभ लिया है। इस वर्ष से सभी इच्छुक बुनकरों को यह पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में विकास यात्रा के दौरान और वर्ष 2012 में भागलपुर के नाथनगर में मैंने बुनकरों से बातचीत की, उनकी स्थिति को जाना। उस दौरान बुनकरों ने बताया कि बिजली का बिल अधिक रहने के कारण उसे हमलोग देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। मुझे बताया गया कि 21 हजार पावरलूम बुनकरों के साथ यह समस्या है। वर्ष 2006 से हमलोगों ने उनके द्वारा खपत की गई बिजली पर डेढ़ रुपये की दर से विद्युत अनुदान दिया और फरवरी 2014 से इसे बढ़ाकर 3 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.8.2022)**

औद्योगिक क्षेत्रों का लीज भूमि दर के संबंध में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) द्वारा जारी आदेश, ज्ञापांक 3404/AC दिनांक 13-8-2022 की प्रति सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है–

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना- 800004
Website : www.biadabihar. in
Email-biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675991/2675002

कार्यालय आदेश

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 76वीं बैठक दिनांक 03.08.2022 एवं 05.08.2022 के कार्यवाली सं. 04 में लिये गये निर्णय के आलोक में औद्योगिक क्षेत्रों का लीज भूमि दर निम्नांकित प्रकार से निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	जिले का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूमि लीज दर (लाख प्रति एकड़)
1	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा	204
2	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, कोपाकला	59
3	पटना	मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा	199
4	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदरपुर	200
5	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा	201
6	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा	1060
7	पटना	औद्योगिक क्षेत्र, न्यू बिहटा	144
8	सिवान	औद्योगिक क्षेत्र, न्यू सिवान, फेज-1	115
9	सिवान	औद्योगिक क्षेत्र, न्यू सिवान, फेज-2	83
10	सिवान	औद्योगिक क्षेत्र, सिवान	87
11	औरंगाबाद	औद्योगिक विकास केन्द्र, औरंगाबाद	112
12	औरंगाबाद	औद्योगिक प्रांगण, बारूण	60
13	औरंगाबाद	औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद	161
14	गोपालगंज	औद्योगिक क्षेत्र, हथुआ, फेज-1 और फेज-2	59
15	रोहतास	औद्योगिक क्षेत्र, विक्रमगंज	81
16	रोहतास	औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी	84
17	रोहतास	औद्योगिक क्षेत्र, सासाराम	63
18	बक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, डुमरांव	70
19	बक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर	126
20	बक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, नावानगर	52
21	गया	औद्योगिक क्षेत्र, गुरारू	37
22	गया	औद्योगिक क्षेत्र, गया	82
23	मुंगेर	औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर	70
24	मुंगेर	औद्योगिक प्रांगण, मुंगेर	90
25	मुंगेर	औद्योगिक क्षेत्र, सीताकुंड	70
26	पश्चिम चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर	41
27	पश्चिम चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग	69
28	पश्चिम चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया	140
29	पूर्वी चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, रक्सौल	95
30	पूर्वी चम्पारण	औद्योगिक क्षेत्र, सुगौली	36
31	मधुबनी	औद्योगिक क्षेत्र, झंझारपुर	82
32	मधुबनी	औद्योगिक क्षेत्र, सकरी	34
33	मधुबनी	औद्योगिक क्षेत्र, लोहट, फेज-1, फेज-2, फेज-3	38
34	मधुबनी	औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल	45
35	मधेपुरा	मिनी विकास केन्द्र, उदाकिशनगंज	35
36	मधेपुरा	औद्योगिक प्रांगण, मुरलीगंज	59
37	सहरसा	औद्योगिक प्रांगण, सहरसा	175
38	सहरसा	औद्योगिक क्षेत्र, बैजनाथपुर	43
39	नालन्दा	औद्योगिक प्रांगण, बिहारशरीफ	103
40	भोजपुर	औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया	83
41	भोजपुर	औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा	56
42	जहानबाद	औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद	180
43	सीतामढ़ी	औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी	137
44	दरभंगा	औद्योगिक प्रांगण, धरमपुर	175
45	दरभंगा	औद्योगिक क्षेत्र, दोनार	90
46	दरभंगा	औद्योगिक प्रांगण, बेला	242
47	कटिहार	औद्योगिक प्रांगण, कटिहार	155
48	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, बिषुणपुर-धरम	53
49	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, डुमरिया	62
50	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, महबल	62
51	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, दामोदरपुर	62
52	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, बरियारपुर, फेज- 1	62
53	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, बरियारपुर, फेज- 2	53
54	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, बरियारपुर, फेज- 3	62
		औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	214
55	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कोरा	35
		औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर	214
56	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, पानापुर	53
57	किशनगंज	औद्योगिक प्रांगण, खगरा (किशनगंज)	113
58	किशनगंज	औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी	35
59	भागलपुर	वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी	330
60	पूर्णियाँ	औद्योगिक क्षेत्र, बनमंखी	53
61	पूर्णियाँ	औद्योगिक प्रांगण, पूर्णियाँ सिटी	104
62	पूर्णियाँ	औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा	132
63	वैशाली	औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर	262
64	वैशाली	औद्योगिक क्षेत्र, गोरौल, फेज-1 और फेज - 2	72
65	वैशाली	ई. पी. आई. पी. हाजीपुर	234
66	नवादा	औद्योगिक क्षेत्र, नवादा	73
67	नवादा	औद्योगिक क्षेत्र, वारीसलीगंज	178
68	लखीसराय	औद्योगिक प्रांगण, लखीसराय	72
69	अररिया	औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज	65
70	खगड़िया	औद्योगिक विकास केन्द्र, खगड़िया	34
71	बेगुसराय	औद्योगिक विकास केन्द्र, बेगुसराय	72
72	बेगुसराय	औद्योगिक क्षेत्र, बरौनी	59
73	सुपौल	औद्योगिक क्षेत्र, सुपौल	40
74	समस्तीपुर	औद्योगिक प्रांगण, समस्तीपुर	54

उपरोक्त लीज भूमि दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
कार्यकारी निदेशक (संचालन)
बियाडा, पटना

ज्ञापांक : 3404/AC दिनांक : 13.8.2022

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
कार्यकारी निदेशक (संचालन)
बियाडा, पटना

70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को रेल किराये में छूट की तैयारी

आलोचनाओं के बाद रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन संभव है यह जेनरल और स्लीपर कैटेगरी के लिए हो। सूत्रों ने कहा कि आयु मानदंड में भी बदलाव हो सकता है। रियायती किराये की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी जाये, जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों के लिए थी। सूत्रों ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण रेलवे पर पड़ने वाले वित्तीय भार का समायोजन करना है। रेलवे रियायतों को केवल नन एसी कैटेगरी की यात्रा तक सीमित करने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि, किसी भी चीज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा, रेलवे सभी ट्रेनों में 'प्रीमियम तत्काल' योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 28.7.2022)

पटना एयरपोर्ट पर अक्टूबर तक तैयार हो जायेगा नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर

• 20 मीटर और क्षेत्रफल वर्तमान टावर से दोगुना होगा • 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे बिल्डिंग के निर्माण में

पटना एयरपोर्ट पर बन रहा नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर अक्टूबर तक तैयार हो जायेगा। इसकी ऊँचाई 20 मीटर और क्षेत्रफल वर्तमान टावर से दोगुना होगा। इसके मूल ढांचे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब इसे फिनिशिंग टच देने का काम चल रहा है। निर्माण से जुड़े एक वरीय अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर तक इसका निर्माण पूरा हो जायेगा और दिसम्बर तक इसके चालू हो जाने की संभावना है।

तीन मिनट के अंतराल पर लैंड़िंग और टेकऑफ : नया एटीसी टावर पूरी तरह डेडिकेटेड ब्लॉक होगा, जहाँ विमानों पर निगरानी रखने वाले कक्ष के अलावा अन्य दफ्तर नहीं होंगे। यहाँ अत्याधुनिक सिस्टम लगाये जायेंगे। इसके चालू होने पर विमानों के परिचालन में सुविधा होगी और पटना एयरपोर्ट से तीन मिनट के अंतराल पर विमानों का लैंडिंग और टेकऑफ संभव होगा, जिसमें अभी पाँच मिनट लग जाते हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.8.2022)

युवाओं का मतदाता बनना हुआ आसान साल में अब चार अवसर : जिलाधिकारी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 4.8.2022 को समाहरणालय सभाकक्ष में निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु 'स्वैच्छिक आधार' पर निर्वाचकों से 'आधार-संग्रहण' के संबंध में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्षों, सचिवों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण, विलोपन, संशोधन एवं पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान तथा प्रमाणीकरण हेतु आधार संख्या संग्रहण के नवीन संशोधित प्रारूप के संबंध में जानकारी दी गई।

इन तिथियों में आयोजित होगा विशेष कैंप : • सितम्बर 2022 में - 4, 18 एवं 25 • अक्टूबर 2022 में - 9 एवं 23 • नवम्बर 2022 में - 6 एवं 20 • दिसम्बर 2022 में - 4 एवं 11

आधार संग्रहण के लिए ये है व्यवस्था : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्वाचकों द्वारा 'प्रपत्र 6ख' का प्रयोग किया जाएगा। उक्त प्रपत्र ऑनलाईन, ईआरओनेट, वोटर पोर्टल में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना प्रपत्र 6ख को बीएलओ, ईआरओ या अन्य प्राधित कर्मियों के माध्यम से ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 5.8.2022)

सभी ट्रेनों में डेबिट कार्ड से कर सकेंगे भुगतान

ट्रेन में अक्सर कई यात्री बिना वैध टिकट लिए सवार हो जाते हैं। पकड़े जाने पर इनसे जुर्माना और किराया वसूल कर यात्रा करने के लिए टिकट बना दिया जाता है। डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ने से कई लोगों के पास पर्याप्त नकदी नहीं होती है, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान जुर्माना देने में दिक्कत होती है। आने वाले दिनों में यह परेशानी दूर हो जाएगी। यात्री डेबिट कार्ड से किराया व जुर्माना का भुगतान कर सकेंगे। रेलवे अब सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यह सुविधा शुरू कर रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों में टीटीई को 4-जी सिम वाला पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) देने का फैसला किया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.7.2022)

अब हल्का व ब्लास्टप्रूफ सिलेंडर

• 1500 रुपये का भुगतान किए हैं तो 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर के लिए 3350-1500= 1850 देना होगा • 05 किलो वाला सिलेंडर लेना है तो 2150-1500= 650 रुपये का ही भुगतान करना होगा

इंडियन आयल ने अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में नया एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर लांच किया है। इसका निर्माण तीन स्तर में किया गया है। अंदर से पहला स्तर हाई डेंसिटी पाइथिलीन का बना है। अंदर के इस स्तर को पालिमर से बने फाइबर ग्लास से कोट किया गया है और सबसे बाहरी स्तर भी एचडीपीई का बना है।

कंपोजिट सिलेंडर की खासियत : यह स्टील सिलेंडर की तुलना में आधे वजन का है। लोहे के सिलेंडर जहाँ गैस के साथ 30-31 किलोग्राम के होते हैं। वहीं, नया कंपोजिट सिलेंडर का वजन गैस के साथ महज 16 किलोग्राम ही होगा। ये ब्लास्ट प्रूफ है। मतलब आग लगने पर ये ब्लास्ट नहीं होगा बल्कि पिघल जायेगा। यह सिलेंडर कुछ हद तक पारदर्शी होता है, जिसे देखा जा सकता है यह जंग प्रतिरोधी है। इससे सिलेंडर में डैमेज यानी क्षतिग्रस्त नहीं होता। फर्श पर दाग भी नहीं लगता। यह माडर्न किचेन की खूबसूरती बढ़ाता है।

कैसे लें कंपोजिट सिलेंडर : कंपोजिट सिलेंडर पाँच और 10 किलो के वजन में आ रहा है। इसे इंडेन के किसी भी वितरक से लिया जा सकता है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.8.2022)

कूरियर नहीं मिला तो कंपनी दे मुआवजा : उपभोक्ता आयोग

अक्सर कूरियर कंपनियों की शिकायतें मिलती हैं कि सामान डिलीवर नहीं हुआ या रास्ते में गुम हो गया। ऐसे मामलों को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कूरियर कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने कहा है कि सामान डिलीवर न करने या गुम जाने को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी माना जाएगा। नुकसान व मानसिक प्रताड़ना के लिए कंपनी मुआवजा देने व नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य है। कूरियर कंपनी सामान बुक करने वाले व्यक्ति को नुकसान की भरपाई करते हुए 1.96 लाख रु.9% ब्याज के साथ लौटाए। मानसिक प्रताड़ना की भरपाई के लिए 25 हजार रुपए अलग से दे।

(विस्तृत : दैनिक भाष्कर, 24.7.2022)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296